न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 162 / 2020(2020 / 00227)

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।
2. रामजीलाल पुत्र लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।
3. रामसिंह पुत्र लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र चुनीराम जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।
2. दोलतराम पुत्र लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।
3. रामचन्द्र पुत्र लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।
4. सुलतान सिंह पुत्र लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।
5. बाधो पुत्री लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।
6. सरोज पुत्री लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।
7. सन्तोष देवी पुत्री लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।
8. लिछमा पुत्री लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी **वादीगण**
श्री सुरेन्द्र मील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 05/04/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक डोभी बारानी सम्वत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 117 / 118 [illegible] न0 113 के किला न0 21 ता 23, मु0 न0 114 के किला न0 1[illegible] न0 137 के किला न0 1 ता 10, मु0 न0 138 के किला न0 [illegible] प्रकार कुल किता [illegible] कुल 5.528 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता खातेदारी कृषि [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:32 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा चुनीराम की खातेदारी हुआ करती थी। चुनीराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी लालचन्द ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी लालचन्द ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी लालचन्द के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द को वादी के दादा चुनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। खतौनी जमाबन्दी चक डोभी बारानी सम्वत 2051 के खाता संख्या 26/33 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 8 को वकील वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 5, 7 ने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी रामकुमार पुत्र लालचन्द जाति खाती निवासी भांगवा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक डोभी बारानी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 117/118 प्रदर्श 1, जमाबन्दी खतौनी चक डोभी बारानी सम्वत 2051 खाता संख्या 26/33 प्रदर्श 2, सदस्यता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भांगवा द्वारा जारी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद [illegible] किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:32 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभि[illegible] किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। ह[illegible]त वाद वादीगण ने रोही मौजा चक डोभी बारानी सम्वत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 117/118 के मुरब्बा न0 113 के किला न0 21 ता 23, मु0 न0 114 के किला न0 16 ता 18, 23 ता 25, मु0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मु0 137 के किला न0 1 ता 10, मु0 न0 138 के किला न0 1 ता 3, 8 तस 10 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 5.528 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक डोभी बारानी सम्वत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 117/118 के मुरब्बा न0 113 के किला न0 21 ता 23, मु0 न0 114 के किला न0 16 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 137 के किला न0 1 ता 10, मु0 न0 138 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 5.528 हैक्टेयर बारानी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को संयुक्त रूप से 9/11 हिस्सा के अनुसार व प्रतिवादी संख्या 6 सरोज, प्रतिवादी संख्या 8 लिछमा को संयुक्त रूप से 2/11 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 5 व 7 द्वारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
मादरा जिला हनुमानगढ़